प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

विविध याचिका क्षतिपूर्ति सं 800/2019

दिनेश भारती पिता स्वर्गीय छन्नू भारती , 40 वर्ष वर्तमान निवास कसारीडीह, जिला–दुर्ग छत्तीसगढ़ ––– (दावाकर्ता)

––– अपीलार्थी

बनाम

1 – पुहुप्रम साहू पिता सुहाग्राम साहू 39 वर्ष ,व्यवसाय –वाहन चालक,निवासी वार्ड संख्या 39, दुर्गा चौक, लखोली, पुलिस थाना कोटवाली, जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ ––(ट्रैक्टर नं. सी. जी.–11–ए–8401 के चालक), जिलाःराजनंदगांव, छत्तीसगढ़

2 – सियाराम साहू पिता स्वर्गीय दिलराम साहू निवासी दारी, पोस्ट–धनेली, तहसील नवागढ़, जिला जांजगीर–चांपा छत्तीसगढ़।–––(ट्रैक्टर नं. सी. जी.–11–ए–8401 के मालिक),

3 – नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कामठी लाइन, राजनंदगांव, शाखा कार्यालय आकाशगंगा सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।––– (ट्रैक्टर नं. सी. जी.–11–ए–8401 के बीमाकर्ता)

––उत्तरवादीगण

अपीलार्थी हेतु :श्री बेनून, अधिवक्ता

उत्तरवादी सं. 1 और 2 हेतु :श्री प्रवीण धुरंधर, अधिवक्ता

उत्तरवादी सं. 3 हेतु :श्री अभिषेक मिश्रा, अधिवक्ता,श्री बी. एन. नंदे, अधिवक्ता

माननीय श्री पार्थ प्रतिम साहू,न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

01/07/2025

1. दावाकर्ता/अपीलकर्ता ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में '1988 का अधिनियम') की धारा 173 के तहत यह अपील दावा प्रकरण क्रमांक 176/2016 में पारित दिनांक 12.12.2018 के आक्षेपित आदेश के

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

विरुद्ध दायर की है, जिसके तहत विद्वान प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दुर्ग, जिला – दुर्ग (संक्षेप में 'दावा अधिकरण') ने दावा आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि दावा अधिकरण के पास अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत आवेदन पर विचार करने का क्षेत्रीय अधिकार नहीं है।

2. इस अपील के निराकरण हेतु सुसंगत तथ्य यह हैं कि दावाकर्ता/अपीलकर्ता द्वारा सड़क दुर्घटना में हुई चोट के लिए क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत एक दावा आवेदन दायर किया गया था।यह तर्क दिया गया है कि 23.11.2014 को शाम 5:45 बजे, अपीलकर्ता/घायल अपनी मोटरसाइकिल, पंजीकरण संख्या CG 08 NA 6615 पर, ग्राम तिलई से अपने पैतृक ग्राम, पदुमतरा जा रहा था।जब वह पदुमतारा गाँव की पुलिया के पास पहुँचा, तो ट्रैक्टर क्रमांक CG 11 A/8401 के चालक ने तेज़ रफ़्तार और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। दुर्घटना के परिणामस्वरूप, उसके दाहिने पैर के घुटने के पास टिबिया और फिबुला हड्डियों में फ्रैक्चर हो गया, साथ ही दाहिने कूल्हे के जोड़ के पास प्यूबिक हड्डियों में भी फ्रैक्चर हो गया।उसके सीने और शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें आईं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. विद्वान दावा अधिकरण ने प्रकरण पर निर्णय देते हुए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत दायर दावा आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि दावा अधिकरण के पास आवेदन पर विचार करने और निर्णय लेने का क्षेत्रीय अधिकार नहीं है।

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि दावा आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि पर अपीलकर्ता/ दावाकर्ता दुर्ग स्थित दावा अधिकरण के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में निवास कर रहा था, तदनुसार, उसने सड़क दुर्घटना में उसे हुई चोटों के लिए क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दुर्ग के विद्वान अतिरिक्त न्यायाधीश के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है।विद्वान दावा अधिकरण ने आवेदन को गलत तरीके से खारिज कर दिया है और निष्कर्ष दिया है कि प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दुर्ग के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के पास दावा आवेदन पर विचार करने का क्षेत्रीय अधिकार नहीं है, क्योंकि दावाकर्ता दुर्ग के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर अर्थात राजनांदगांव का निवासी था। उन्होंने तर्क दिया कि पहले दावाकर्ता राजनांदगांव जिले के पदुमतारा गांव का निवासी था, हालांकि, वह लंबे समय से दुर्ग में रह रहा था और दुर्ग के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में रहने के कारण उसने क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए आवेदन दायर किया है।ऐसा प्रतीत होता है कि दावा न्यायाधिकरण ने आपराधिक मामले में उल्लिखित पते को नोट कर लिया है, जो अपने आप में दावाकर्ता को उसके द्वारा झेली गई मोटर दुर्घटना चोटों के लिए क्षतिपूर्ति के अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत अनुतोष मांगने से वंचित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

5. संबंधित उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया, तथापि, उन्होंने संयुक्त रूप से तर्क दिया कि दावा आवेदन को निवास स्थान पर प्रस्तुत करने पर कोई रोक नहीं है, भले ही दुर्घटना अलग स्थान पर घटित हुई हो।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

7. दावाकर्ता के दावा आवेदन में उल्लिखित पता कसारीडीह, जिला – दुर्ग है।शपथ पत्र में पता दुर्ग जिले का निवासी दर्शाया गया है।दावा मामले के अभिलेखों में, दावाकर्ता ने दाण्डिक प्रकरण के दस्तावेज की प्रति भी संलग्न की है जिसमें आवेदक के नाम के सामने पता ग्राम – पदुमतरा, पुलिस स्टेशन – घुमका, जिला राजनांदगांव दर्शाया गया है और दुर्घटना उस समय हुई जब आवेदक ग्राम पदुमतरा, जिला राजनांदगांव जा रहा था।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय **नेमंटू सरकार बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य के मामले में, (2009) 2 एससीसी 244** में रिपोर्ट किए गए,मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए दायर आवेदन पर विचार करते हुए न्यायाधिकरण के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के विवाद्यक पर विचार करते हुए कंडिका–20 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:––––––––––

20. हालाँकि, वाद का विषय–वस्तु के संबंध में क्षेत्राधिकार और प्रादेशिक एवं वित्तीय क्षेत्राधिकार के बीच अंतर किया जाना चाहिए।जबकि पूर्व श्रेणी में आने वाले मामले में निर्णय अमान्य होगा, बाद वाले मामले में ऐसा नहीं होगा।यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ न्यायाधिकरण के पास दावे की विषय–वस्तु के संबंध में कोई क्षेत्राधिकार नहीं था।वास्तव में, सिविल न्यायालय को इस मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं था। यदि न्यायाधिकरण के पास मोटर वाहन अधिनियम के तहत दावा याचिका पर विचार करने का अधिकार था, तो हमारी राय में, प्रथम प्रत्यर्थी की ओर से किसी भी पूर्वाग्रह के अभाव में, न्यायालय को अपील पर विचार नहीं करना चाहिए था।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय **ने मालती सरदार बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य (2016) 3 एससीसी 43 में रिपोर्ट किए गए मामले में, मंटू सरकार (सुप्रा) के मामले में की गई टिप्पणी को दोहराते हुए, कंडिका–16 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:–––**

"16. वर्तमान मामले में, विचाराधीन प्रावधान लापरवाही से वाहन चलाने से हुई दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए एक उदार प्रावधान है।क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के प्रावधान की व्याख्या दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए उपचार की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य के अनुरूप की जानी चाहिए।ऐसे मामलों में अति–तकनीकी दृष्टिकोण की सराहना नहीं की जा सकती है।ऐसे स्थान पर दावा याचिका दायर करने पर कोई रोक नहीं है जहां बीमा कंपनी, जो ऐसे मामलों में मुख्य प्रतिद्वंद्वी पक्ष होती है, का अपना व्यवसाय है।ऐसे मामलों में किसी भी पक्ष के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है।न्याय की कोई विफलता नहीं कि गयी है।इसके अलावा, इस न्यायालय के मंटू सरकार मामले में दिए गए स्पष्ट निर्णय के तहत [मंटू सरकार बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, (2009) 2 एससीसी 244: (2009) 1 एससीसी (सिविल) 482:(2009) 1 एससीसी (सीआरआइ) 738], उच्च न्यायालय द्वारा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लिया गया विपरीत दृष्टिकोण कायम नहीं रखा जा सकता है।उच्च न्यायालय ने धारा 21 सीपीसी के प्रावधान पर ध्यान नहीं दिया है।"

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णयों, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा दावा आवेदन में दावाकर्ता/अपीलकर्ता का पता इस न्यायालय की राय में जिला दुर्ग का निवासी दर्शाया गया है, को ध्यान में रखते हुए, विद्वान दावा अधिकरण ने इस आधार पर दावा आवेदन को खारिज करने में गलती की है कि विद्वान दावा अधिकरण के पास अपीलकर्ता/दावाकर्ता द्वारा दायर दावा आवेदन पर विचार करने का क्षेत्रीय अधिकार नहीं है, जैसा कि केवल दाण्डिक प्रकरण में उल्लिखित पते पर ध्यान दिया गया है।

11. उपरोक्त चर्चाओं के लिए, दिनांक 12.12.2018 का आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है।दावा मामले के गुण–दोष के आधार पर निर्णय हेतु यह मामला दुर्ग स्थित प्रथम अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायालय के अपर न्यायाधीश को वापस भेजा जाता है।पक्षकारों को दिनांक 18.08.2025 को दावा अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–

(पार्थ प्रतिम साहू)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur